Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./3197/2004/बाडमेर **सरकार बनाम हजारीराम व अन्य**	
05-3-18	**एकल–पीठ** **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी। (2) श्री यज्ञदत शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक :** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी श्री बाडमेर के निर्णय दिनांक 14–1–04 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं। आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखने व बेदखल नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। 2– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी राजकीय सिवाय चक भूमि है। उक्त भूमि पर कानूनन अप्रार्थी का वैधानिक कब्जा नहीं होने से उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।अप्रार्थी की हैसियत महज एक अतिक्रमी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं था। इसलिये उसका प्रथम दृष्टया केस नहीं होने के कारण उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। 4– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि मूल वाद विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यदि प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया जाता है तो उसका वाद दायर करना ही बेकार हो जावेगा और उसे काफी असुविधा होगी। इसलिये अप्रार्थी के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये उसके पक्ष में जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है वह विधिसम्मत है। निगरानी खारिज की जावे। 5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./3197/2004/बाडमेर** **सरकार बनाम हजारीराम व अन्य**	

साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से तीन घटक प्रथम दष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बाबत विचार किया जाना है। अप्रार्थी की ओंर से जो राजस्व रेकार्ड खसरा परिवर्तनशील की नकलें पेश की गई हैं उनमें उसकी काश्त न होकर पत्थर डाले हुये अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा हो यह भी राजस्व अभिलेख से सिद्ध नही है। नकल खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवाय चक भूमि है। जिस पर अप्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस बनना नहीं पाया जाता है और न ही अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना है क्योंकि वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं की जाकर पत्थर डाले हुये हैं। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है उसे विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता।

7- उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14-1-04 निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की पुष्टि की जाती है।

~~क्षति होने की स~~

~~उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। राजस्व अपील प्राधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उनके न्यायालय में प्रस्तुत अपील को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को लौटा देवें और प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र माना जाता है।~~

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3197/2004/बाडमेर</u>** **सरकार बनाम हजारीराम व अन्य**	